न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील निर्वाचन सं0 18/2020

1– रेखा कुमारी पत्नि भागसिह जाति गुर्जर

2– भागसिंह पुत्र सरमन जाति गुर्जर

3– सरबो पत्नि राधे जाति गुर्जर

4– राधे पुत्र मंगल जाति गुर्जर

5– सरमन पुत्र राधे जाति गुर्जर

समस्त निवासीगण गांगरापाड़ा हाल वार्ड नं0 16 कस्बा बयाना जिला भरतपुर ।

.... अपीलान्टस

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) नगर पालिका बयाना ।

.......रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश बिना तारीखी..... (19.11.2020) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) बयाना

निर्णय **दिनांकः– 24.11.2020**

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना जिला भरतपुर बिना तारीख (19.11.2020) के पेश की है । अपीलाधीन आदेश में उपखण्ड अधिकारी बयाना ने अपीलान्ट्स के प्रारूप –3 बाबत निर्वाचन नामावली में नाम सम्मलित किये जाने के आवेदनों को निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तहत पत्रावली तलव की गई । उपखण्ड अधिकारी बयाना से प्राप्त रिपोर्ट/ तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई । अभिभाषक अपीलान्ट्स की बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.18 16:11:04 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट्स के स्वामित्व का मकान मोहल्ला गांगड़पाड़ा बयाना में स्थित है और वे वहां मय परिवार निवास करते हैं।

अपीलान्ट्स का मकान का वयनामा ,आधारकार्ड ,राशनकार्ड व गैस कनैक्शन आदि दस्तावेज हैं। बयाना में अपीलान्ट्स की कृषि भूमि है, इस बावत बी0एल0ओ0 व सुपरवाइजर ,पटवारी ने वार्ड नं0 16 में निवास करने की पुष्टि कर अपनी रिपोर्ट की है। अपीलान्ट सरमन वर्ष 2001 से 2005 तक नगर पालिका बयाना में वार्ड सं0 13 से निर्वाचित पार्षद रहा है और पुष्पा सन् 2005 से 2010 तक पुराना वार्ड नं012 में निर्वाचित पार्षद रही है परन्तु वर्तमान वोटर लिस्ट में गलती से नाम जुडने से रह गया है जिसको जुड़वाने के लिए आवेदन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी बयाना के समक्ष पेश किये जिन्हें अवैध रूप से खरिज कर दिया जो विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट एक ही परिवार के सदस्य हैं व वार्ड नं0 16 मोहल्ला गांगरापाड़ा कस्बा बयाना में रहते हैं । अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी बयाना का अपीलाधीन आदेश निरस्त कर नाम जोड़ने की आज्ञा दी जावे ।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया । पत्रावलियों का गहनता से अध्ययन किया । उपखण्ड अधिकारी बयाना से प्राप्त टिप्पणी एवं तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स के नाम ग्राम पंचायत गाजीपुर की निर्वाचक नामावली सूची वर्ष 2020 में वार्ड संख्या 3 की क्रम संख्या 23 पर राधे पुत्र मंगल, क्रम संख्या 24 रेखा कुमारी पत्नि भागसिंह ,क्रम संख्या 22 सरबो पत्नि राधे ,क्रम संख्या 25 भागसिंह पुत्र समरन एवं क्रम संख्या 279 पर सरमन पुत्र राधे पूर्व से ही दर्ज हैं , जिसकी छाया प्रति तहत पत्रावली में संलग्न है । स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के पूर्व से ही ग्राम पंचायत गाजीपुर की मतदाता सूची में अंकित हैं। अप्रार्थीगण ने वहां से **नाम कटवाने बावत जो रसीदें संलग्न की हैं, वे सभी दिनांक 03.11.2020 की हैं, इससे जाहिर है कि वे पूर्व से ही ग्राम पंचायत गाजीपुर के मतदाता हैं और इनके द्वारा ग्राम पंचायत के चुनाव में भी मतदान किया जाना सम्भावित है। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 09.11.2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि आवेदक के पूर्व में किसी अन्य क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम अंकित हो तो वर्तमान नगरपालिका निर्वाचक नामावली में नाम नहीं जोड़ा जा सकता** एवं किसी भी व्यक्ति का

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.18 16:11:04 IST
Reason: SelfAttested

नाम दो जगह की मतदाता सूचियों में एक साथ नहीं हो सकता। अपीलान्ट्स के प्रार्थना–पत्रों की भौतिक सत्यापन में अपीलान्ट्स के नाम ग्राम पंचायत गाजीपुर की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होना पाये जाने पर अपीलान्ट्स के आवेदन पत्र खारिज किये जाने की आज्ञा दी गई है। एस.डी.ओ बयाना द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा विधिवत है। जिसमें हम

किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट्स काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। तहत न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2020 को सुनाया गया ।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.18 16:11:04 IST
Reason: SelfAttested